# न्यायालयः— आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी चन्देरी जिला—अशोकनगर म०प्र०

<u>दांडिक प्रकरण क—147 / 2017</u> <u>संस्थित दिनांक—04.05.2017</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा	
आरक्षी केन्द्र चंदेरी	
जिला अशोकनगर।	

.....अभियोजन

#### विरुद्ध

- 1. करतार सिंह पुत्र राम सिंह यादव उम्र 34 साल
- 2. देवेंद्र पुत्र सीताराम यादव उम्र 22 साल
- 3. माखन पुत्र बृजभान सिंह यादव उम्र 31 साल
- 4. रामभान पुत्र सीताराम सिंह यादव उम्र 24 साल निवासी ग्राम चकेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... अभियुक्तगण

## —: <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 23.03.2018 को घोषित)</u>

01:—अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 324 अथवा 324/34, 323 अथवा 323/34 दो शीर्ष, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 23.02.2015 को करीब 03:00 बजे ग्राम चंकेरी में पुरूषोत्तम के दरवाजे स्थित ग्राम चंकेरी में लोक स्थान पर फरियादी प्रभान सिंह यादव को मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी प्रभान सिंह व आहत पुरूषोत्तम को स्वेच्छया उपहित कारित की अथवा अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर फरियादी प्रभान सिंह व आहत पुरूषोत्तम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित किया ओर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रभान को धारदार काटने के उपकरण से एवं फरियादी प्रभान एवं पुरूषोत्तम को लाठी व थप्पडों से मारपीर कर स्वेच्छया उपहित कारित की व जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारिया किया।

02:—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.02.2015 को फरियादी प्रभान, पुरूषोत्तम के दरवाजे के बाहर खडा था, तभी गावं के करतार सिंह, माखन, रामभान एवं देवेंद्र सिंह यादव चारों आये, और पुरानी रंजिश पर से प्रभान को मां बहन की अश्लील गालिया देने लगे, गाली देने से मना किया तो रामभान हाथ में लिये फर्सा मारा, जो उसके माथे में लाग चोट होकर खून निकल आया, करतान ने कुल्हाडी मारी जो बाये हाथ के अंगूठा के पास लगकर खून निकल आया, पुरूषोत्तम बीच बचाव करने आया तो माखन यादव ने लाठी मारी, जो पुरूषोत्तम के बाये हाथ के डढा में लगी, मुंदी चोट लगी। देवेंद्र ने थप्पड व लातघूसों से मारपीट की, जब प्रभान घर आने लगा तो चारों कहने लगे अकेला मिलेगा तो जान से खत्म कर देंगे। घटना जगदीश यादव और भानुप्रताप ने देखी। फरियादी प्रभान द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध

कमांक—55 / 2015 अंतर्गत धारा—323, 451, 294, 506बी, 34 भा0द0वि0 के तहत् प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03:—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक—23.03.2018 को फरियादी प्रभान एवं पुरूषोत्तम द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये, जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा 294, 323 अथवा 323/34 दो शीर्ष, 506बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त ६ गोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 324 अथवा 324/34 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।
- 04:—अभियुक्तगण को उनके विरूद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा—313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।

05:-प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 23.02.2015 को करीब 03:00 बजे ग्राम चंकेरी में पुरूषोत्तम के दरवाजे स्थित ग्राम चंकेरी में फरियादी प्रभान को धारदार काटने के उपकरण से स्वेच्छयाउपहित कारित की अथवा फरियादी प्रभान को उपहित कारित करने का अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ओर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रभान को धारदार काटने के उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 2. |दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

### विचारणीय प्रश्न कमाक 01 व 02 का विवेचन एवं निष्कर्ष:-

06:— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामें एवं अभिलेख पर आई साक्ष्य को देखते हुये मात्र फरियादी प्रभान सिंह (अ०सा०—01) व आहत पुरूषोत्तम (अ०सा०—02) के कथन न्यायालय में कराये गये। फरियादी प्रभान (अ०सा०—01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि अभियुक्तगण से उनका पूर्व का जमीनी विवाद है। अभियुक्तगण उसकी के गांव के हैं। इस साक्षी के अनुसार चार—पांच साल पहले दिन में करीब 12:00—01:00 बजे जब वह पुरूषोत्तम के दरवाजे पर बैठा था, तो अभियुक्तगण वहां से निकले थे और उसे

घूरने लगे थे, जिस पर पूछने पर अभियुक्तगण ने उसे मां—बहन की गालियां दी थी, जिसके बाद घटना उसका अभियुक्तगण से मुंहवाद हो गया था। फरियादी का कहना है कि इस घटना के अलावा अन्य कोई घटना नहीं हुई तथा बीच बचाव पुरूषोत्तम (अ०सा0—02) ने किया था।

- 07:— फरियादी प्रभान (अ०सा0—01) के द्वारा मुख्य परीक्षण में दिये गये कथनों में मात्र अभियुक्तगण के द्वारा मौके पर गाली—गलौच व मुंहवाद की घटना कारित किया जाना बताया है तथा इसके अलावा अन्य कोई घटना इस साक्षी के अनुसार अभियुक्तगण ने कारित नहीं की। अभियोजन घटना के अनुसार घटनामें अन्य आहत पुरूषोत्तम (अ०सा0—02) है, जिसकी घटना स्थल पर उपस्थित फरियादी प्रभान सिंह ने भी अपने न्यायालीन कथनों में बताई है। पुरूषोत्तम ने भी अपने न्यायालीन कथनों में फरियादी के कथनों के समान घटना में अभियुक्तगण के द्वारा फरियादी से केवल मुंहवाद करना बताया है तथा इस साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा बीच बचाव कराये जाने केबाद अभियुक्तगण वहां से चले गये थे। अतः पुरूषोत्तम (अ०सा0—02) के अनुसार भी मुंहवाद कि अलावा अभियुक्तगण ने कोई घटना कारित नहीं की।
- 08:— फरियादी प्रभान सिंह (अ०सा०—01) व आहत पुरूषोत्तम (अ०सा०—02) दोनों ही साक्षी ह ाटना के समय अभियुक्तगण की उपस्थिति तथा फरियादी से विवाद करने की घटना के संबंध में अभियोजन कहानी की पुष्टि करते हैं, परन्तु इन दोनों ही साक्षियों ने अपने मुख्य परीक्षण में इस संबंध में अभियोजन का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि अभियुक्त रामभान ने फर्से से तथा अभियुक्त करतार सिंह ने कुल्हाड़ी से फरियादी के साथ मारपीट कर उपहित कारित की। फरियादी प्रभान सिंह (अ०सा०—01) व आहत पुरूषोत्तम (अ०सा०—02) अभियुक्तगण के द्वारा केवल मुंहवद किये जाने की घटना बताते है तथा इन दोनों साक्षियों के द्वारा आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देते हुये अभियोजन घटना के विरुद्ध न्यायालय में कथन दिये है।
- 09:— प्रभान सिंह (अ०सा०—01) व पुरूषोत्तम (अ०सा०—02) के द्वारा अभियोजन समर्थन न करने के कारण अभियोजन ने दोनों ही साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत प्रतिपरीक्षण किया है, परन्तु अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में भी इन दोनों ही साक्षियों ने आरोपित अपराध के संबंध में अभियोजन के समर्थन में कोई कथन नही दिये तथा स्पष्ट रूप से इस बात का खण्डन किया है कि रामभान ने प्रभान सिंह (अ०सा०—01) को माथे पर फर्सा एवं करतार ने प्रभान सिंह को कुल्हाडी से हाथ में चोट पहुचाईं। फरियादी व आहत पुरूषोत्तम घटना के बाद अपने चिकित्सीय परीक्षण होना स्वीकार करते हैं, परन्तु इन दोनों ही सिक्षयों के अनुसार घटना में उन्हें कोई चोट नही आई थी तथा घटना में अभियुक्तगण ने उनके साथ कोई मारपीट नही की।
- 10:— फरियादी प्रभान सिंह (अ0सा0—01) प्रदर्श पी—01 की सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना तो स्वीकार करता हैं, परन्तु उसका स्वयें कहना है कि उसने पुलिस को मारपीट

की कोई घटना की रिपोर्ट लेखबद्ध नहीं कराई थी, क्योंकि घटना में केवल मुंहवाद हुआ था। प्रभान सिंह (अ0सा0—01) व पुरूषोत्तम (अ0सा0—02) पुलिस को भी इस संबंध में कोई भी कथन देने से इन्कार करते है। अतः घटना में आहत प्रभान सिंह (अ0सा0—01) जहां स्वयं ही मारपीट की घटना से इन्कार करता है तथा घटना में केवल मुंहवाद होने की घटना अभियोजन साक्षियों के द्वारा न्यायालय में बताई गई है, वहां प्रकरण में दर्ज कराई प्रथम सूचना रिपोर्ट व स्वयं फरियादी प्रभान सिंह (अ0सा0—01) के कथनों में घटना के संबंध में महत्वपूर्ण तात्विक विरोधाभास देखा जा सकता है।

- 11:— प्रभान सिंह (अ०सा0—01) व पुरूषोत्तम (अ०सा0—02) ने स्पष्ट रूप से अपने न्यायालीन कथनो में अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट की घटना से इन्कार किया है तथा घटना में केवल मुंहवाद होना बताया है जिससे आरोपित अपराध के संबंध में अभिलेख पर अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित नही होते है।
- 12:— परिणाम स्वरूप अभियोजन अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में सफल नहीं हुआ है कि दिनांक 23.02. 2015 को करीब 03:00 बजे ग्राम चंकेरी में पुरूषोत्तम के दरवाजे स्थित ग्राम चंकेरी में फरियादी प्रभान को धारदार काटने के उपकरण से स्वेच्छयाउपहित कारित की अथवा फरियादी प्रभान को उपहित कारित करने का अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित किया ओर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी प्रभान को धारदार काटने के उपकरण से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की।
- 13:— फलतः अभियुक्त करतार सिंह पुत्र राम सिंह यादव, देवेंद्र पुत्र सीताराम यादव, माखन पुत्र बृजभान सिंह यादव, रामभान पुत्र सीताराम सिंह यादव को भा.द.वि. की धारा 324 अथवा 324/34 के आरोप प्रमाणित न होने से उसे भा.द.वि. की धारा 324 अथवा 324/34 के तहत् दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
  - 14:—अभियुक्तगण धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (आसिफ अहमद अब्बासी) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)